

- दीनदयाल मार्केट योजना (क्लक करें)
- अंत्योदय स्व रोजगार योजना (क्लक करें)
- बहन निवेदिता स्व सहायता समूह (क्लक करें)
- संत रविदास आवास सह कार्यशाला योजना (क्लक करें)

## nhu n; ky ekdV fodkl ; kst uk

; kst uk dk Lo: i %&

लघु एवं कुटीर उद्योग,

ik=rk dh 'kr %&

1. आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति का हो
2. आवेदक/आवेदिका की उम्र 18-45 वर्ष के बीच हो
3. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 27500/- तक एवं ग्रामीण क्षे. में 20000/ - तक हो
4. आवेदक/आवेदिका गरीबी रेख के नीचे जीवनयापन करने का राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड परिवार परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में कहीं से ऋण न लिया हो,

का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।

; kst uk ds rgr ns ykhk %&

बैंकों के माध्यम से स्वयं के स्वरोजगार स्थापित हेतु (10X10) कि दुकान निर्माण कर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना जिस पर अधिकतम 25000/- प्रति हितग्राही का अनुदान राशि निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

; kst uk grq vkonu dk rjhdk %&

ऋण प्राप्ति हेतु प्रारूप संलग्न :-निर्धारित आवेदन फॉर्म हेतु 10/- आवेदक को जमा कर कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

vko'; d nLrkost %&

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूलनिवासी एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vkonu i = fdl s djuk g\$ %&

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी।

y{; %&

गत वर्ष 2009-10			इस वर्ष 2010-11		
लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण	लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण
7 इकाई	—	—	7 इकाई	—	—

(क्रियान्वयन-अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित)

## vr; kn; Loj kst xkj ; kst uk

; kst uk dk Lo: i %&

लघु एवं कुटीर उद्योग, सेवा उद्योग

ik=rk dh 'kr %&

1. आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति का हो
2. आवेदक/आवेदिका की उम्र 18-45 वर्ष के बीच हो
3. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 27500/- तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20000/- तक हो
4. आवेदक/आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने का राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड परिवार परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में कहीं से ऋण न लिया हो, का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।

; kst uk ds rgr ns; ykhk %&

बैंकों के माध्यम से स्वयं के स्वरोजगार हेतु यूनिटकास्ट अथवा हितग्राही की मंशानुसार आर्थिक सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना जिस पर अधिकतम 10000/- का अनुदान राशि भी उपलब्ध कराया जाना।

योजना हेतु

vkouu dk rjhdk oa .k ikflr grqik: i l ayXu %&

निर्धारित आवेदन फॉर्म हेतु 10/- आवेदक को जमा कर कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

vkou'; d nLrkost %&

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूलनिवासी एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vkouu i = fdl s djuk gs %&

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी।

y{; %&

गत वर्ष 2009-10			इस वर्ष 2010-11		
लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण	लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण
180	57	23.60	216	08	18

(क्रियान्वयन-अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित)

## cgu fuofnrk Lo l gk; rk l eig

; kstuk dk Lo: i %&

लघु एवं कुटीर उद्योग, सेवा उद्योग

ik=rk dh 'krā %&

1. आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति का हो
2. आवेदक/आवेदिका की उम्र 18-45 वर्ष के बीच हो
3. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 27500/- तक एवं ग्रामीण क्षे. में 20000/- तक हो
4. आवेदक/आवेदिका गरीबी रेख के नीचे जीवनयापन करने का राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड परिवार परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में कहीं से ऋण न लिया हो, का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।

; kstuk ds rgr ns ykHk %&

बैंकों के माध्यम से स्वयं के स्वरोजगार हेतु प्रति हितग्राही को 30000/- के मान से 10 हितग्राही को ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराया जाना है जिस पर अधिकतम 10000/-प्रति. हितग्राही का अनुदान राशि भी उपलब्ध कराया जाना।

; kstuk grq vkonu dk rjhdk , oa \_\_.k ikflr grqik: i l ayXu %&

निर्धारित आवेदन फॉर्म हेतु 10/- आवेदक को जमा कर कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

vko'; d nLrkost %&

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूलनिवासी एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vkonu i = fdl s djuk g\$ %&

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी।

y{; %&

गत वर्ष 2009-10			इस वर्ष 2010-11		
लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण (लाख में)	लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण
3(ईकाई)	3	9.00	3(ईकाई)	0	0

(क्रियान्वयन-अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित)

## l r jfonkl vkokl l g dk; Z kkyk ; kst uk

; kst uk dk Lo: i %&

लघु एवं कुटीर उद्योग

ik=rk dh 'kr' %&

1. आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति का हो
2. आवेदक/आवेदिका की उम्र 18-45 वर्ष के बीच हो
3. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 27500/- तक एवं ग्रामीण क्षे. में 20000/- तक हो
4. आवेदक/आवेदिका गरीबी रेख के नीचे जीवनयापन करने का राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड परिवार परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पूर्व में कहीं से ऋण न लिया हो, का शपथ पत्र होना अनिवार्य है।

; kst uk ds rgr ns ykHk %&

बैंकों के माध्यम से स्वयं के स्वरोजगार हेतु स्वयं कि भूमि पर व्यवसाय का संचालन हेतु (10X10) का डबल स्टोरी भवन बनवाकर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना जिस पर अधिकतम 25000/- प्रति हितग्राही का अनुदान राशि निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

; kst uk grq vkonu dk rjhdk , oa \_\_.k ikflr grqik: i l ayXu %&

निर्धारित आवेदन फॉर्म हेतु 10/- आवेदक को जमा कर कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

vko'; d nLrkost %&

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूलनिवासी एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

vkonu i = fdl s djuk gS %&

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी।

y{; %&

गत वर्ष 2009-10			इस वर्ष 2010-11		
लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण (लाख में)	लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण
8(ईकाई)	—	—	8(ईकाई)	—	—

(क्रियान्वयन-अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित)